

प्रेस नोट दिनांक-22.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंशुक लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी सोनकर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा के नेतृत्व में थाना रैपुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल की डिग्गी से 150000 लाख रुपये की चोरी करने वाले अभियुक्त रामबाबू कुशवाहा पुत्र पराग कुशवाहा निवासी मोहल्ला शिवनगर थाना व कस्बा मानिकपुर को 150000 रुपये व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

कल दिनांक 21/10/21 को वादी श्री उमाकान्त पुत्र राजेन्द्र निवासी पूरब पताई थाना मऊ द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गयी कि भौरी बाजार में रामबाबू कुशवाहा उपरोक्त द्वारा युनाइटेड आटोमोबाइल एजेन्सी से मेरी मोटरसाइकिल की डिग्गी से एक लाख पचास हजार रूपया तथा तीन पासबुक व आधार कार्ड चुरा कर भाग गया। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 95/21 धारा 379 भादवि बनाम रामबाबू कुशवाहा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। चोरी किये गये रूपयों की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में टीम गठित कर रात्रि में ही कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिससे दौरान चेकिंग वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा चेकिंग करते हुये दिनांक 22.10.2021 की रात्रि में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामबाबू कुशवाहा पुत्र पराग कुशवाहा नि0 मोहल्ला शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर को मो0सा0 नं0 यूपी0 96 ई 5339 के साथ गिरफ्तार किया गया जामातलाशी से अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी धनराशि एक लाख पचास हजार रूपया तथा तीन पासबुक क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक , बांदा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बांदा , यू0पी0 इलाहाबाद ग्रामीण बैंक व एक आधार कार्ड बरामद हुआ।

अभियुक्त का विवरण-

रामबाबू कुशवाहा पुत्र पराग कुशवाहा नि0 मोहल्ला शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उ0प्र0 उम्र 30 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 155/16 धारा 323/504/452/5006 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मानिकपुर
2. मु0अ0सं0 190/17 धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मानिकपुर
3. मु0अ0सं0 60/19 धारा 03 यूपी0 गुण्डा अधिनियम थाना मानिकपुर
4. मु0अ0सं0 03/2020 धारा 10 यूपी0 गुण्डा अधिनियम थाना मानिकपुर
5. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 188/269/332/353 भादवि0 थाना मानिकपुर
6. एनसीआर नं0 17/17 धारा 504/06 भादवि0 थाना मानिकपुर
7. मु0अ0सं0 95/21 धारा 379 भादवि थाना रैपुरा

बरामदगी -

1. मुकदमा से सम्बन्धित चोरी गया रूपया कुल 1,50,000 रूपया नगद
2. वादी मुकदमा के बैंक पास बुक की कापी -03 अदद
3. वादी मुकदमा के लड़के का आधार कार्ड -01 अदद
4. चोरी की घटना में प्रयुक्त अभियुक्त की स्ट्रीम मो0साइकिल रेड कलर न0 यू0पी0 96 ई 5339

3. गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. वरि0उ0नि0 शिवकुमार यादव थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
2. उ0नि0 अनिल कुमार गुप्ता
3. आरक्षी कृष्णकान्त
4. आरक्षी राजदेव कुशवाहा
5. आरक्षी राहुल पाल

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ सिंह उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कामता प्रसाद पुत्र रामराज यादव निवासी सेहरिन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ सिंह थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी रामकेश

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 60/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि के वारण्टी अभियुक्त रज्जू सोनकर पुत्र तेजी सोनकर निवासी ग्राम इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना रैपुरा
2. आरक्षी शैलेन्द्र

(4). आज दिनांक 22.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मु0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृतों एवं गुमशुदाओं बच्चों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा सूचना के 04 घण्टे में गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.10.2021 को समय शाम 05 बजे अगरहुडा निवासी शिवप्रताप द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गयी है उनका 14 वर्षीय पुत्र अनुज बिना बताये घर से कहीं चला गया है खोजने का काफी प्रयास किया गया किन्तु मिला नहीं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रैपुरा ने उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता को बालक की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा अथक प्रयास करते हुये बालक को रात्रि 09 बजे के करीब भौरी से बरामद किया गया। बरामदशुदा बालक को परिजनों के सुपुर्द किया गया। बालक को पाकर परिजनों के चेहरे की मुस्कान लौटी एवं पुलिस की त्वरित कार्यवाही की भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। इस प्रकार सूचना के मात्र 04 घण्टे के अन्दर रैपुरा पुलिस ने बालक को सकुशल बरामद किया गया।

(6). आज दिनांक 22.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया ।

महोदय द्वारा पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया। महोदय द्वारा आदेश कक्ष में पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पांडेय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 3 के क्रम में नौवीं कक्षा की छात्रा शिवानी रावत पुत्री लखन रावत निवासी पुरानी बजार कर्वी जनपद चित्रकूट को महिला थाना प्रभारी बनाया गया। इनके द्वारा थाने पर महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कार्यालय ,डाक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

(7). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 22.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिहा ,मड़हा व कोलमजरा में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी इंटर कॉलेज लूप लाइन चौराहा व देविन तिराहा जाकर, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा प्राथमिक विद्यालय बरिया व सुंदर सिंह पटेल इंटर कॉलेज में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया ।